

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 69 अ-82/17-18 भू-अर्जन/9258 बैतूल दिनांक 7-8-2018

ईशतहार

म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा महिलावाडी जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होन के कारण ग्राम डहुआ प.ह.न. 7-8... तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नंबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

स.क्र	खसरा नंबर	कुल रकबा हे.	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	67/1	4.090	0.068	कन्हैया, पतिराम मधु, फुन्दन वल्द इठरू नन्हा पिता इठरू रूखमई बेवा इठरू पंवार सा. देह भूमि स्वामी
2	63/3	1.000	0.028	बल्लू वल्द सरावन सा. देह भूमि स्वामी
3	67/4	1.363	0.045	गल्लू वल्द उमराव पंवार सा. रोड़ा भूमि स्वामी
4	67/5	1.363	0.020	सम्मा वल्द रघू पंवार सा. देह भूमि स्वामी
5	68/1	3.097	0.383	बातू वल्द काशीराम सा. देह भूमि स्वामी
6	68/2	0.133	0.081	उमेश वल्द केशोराव पंवार सा. देह भूमि स्वामी
	68/3	0.500	0.021	
7	69	6.770	0.607	समजी लक्ष्मण व. तेजी, दसिया पिता तेजी तुलसिया बेवा बिरज पंवार सा. देह भूमि
8	70	7.026	0.607	नन्धू वल्द परसू पंवार सा. देह
9	338	2.930	0.162	नन्दकिशोर, जगदीश वल्द सायबू पंवार सा. देह
	343	6.680	0.101	
महायोग			2.123	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम डहुआ तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 2.123 हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन) राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे हैं। नियत समययावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 7-8-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



(शशाक मिश्र) 218.

कलेक्टर

जिला बैतूल (म.प्र.)

पृ०क० 69 अ-82/2017-18 डहुआ/9258 बैतूल दिनांक 7-8-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम डहुआ ग्राम पंचायत डहुआ तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर

जिला बैतूल (म.प्र.)